रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128

REGISTERED NO. D. (D.N.) 128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 2, 1989/भाद्रपद 11, 1911

No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 2, 1989/BHADRA 11, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम, जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1989

(संविदा/संशोधन)

सा.का.नि. 643.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 299 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देते हैं कि भारत सरकार के भूतपूर्व विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 585, तारीख 1 फरवरी, 1966 का निम्नलिखित और संशोधन किया जाए, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के भाग 20 में गृह मंत्रालय की दशा में शीर्षक के नीचे, मद क में, पैरा 16 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :–

"16. (1) भूमि, गृह और अन्य स्थावर संपत्ति के पट्टे के लिए संविदाएं तथा भूमि और अन्य स्थावर संपति को क्रय और ग्रहण करने के लिए संविदाएं महानिदेशक/उपमहानिदेशक/उपनिदेशक (प्रशा.) /महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक द्वारा जहां तक ऐसी संविदाएं उनकी अधिकारिता से संबंधित हैं और उनके अन्तर्गत आती हैं।

(2) बटालियन मुख्यालयों, रेंज मुख्यालयों, प्रशिक्षण केन्द्रों के रोकड़ियों और असम राइफल्स में नियोजित अन्य सरकारी सेवकों के प्रतिभूमि बंधपत्र या किसी मद के सम्यक् निष्पादन या धनराशि का या उसके आधार पर प्राप्त अन्य संपत्ति का सम्यक् रूप से लेखा दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रतिभूमि, महानिदेशक/उप महानिदेशक/महानिरीक्षक/उपमहा-निरीक्षक/निदेशक (प्रशासन) द्वारा।

2299 GI/89—1

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1989

सा.का.नि. 657:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन दूरदर्शन के विभिन्न एककों में समूह 'ग' कार्यक्रम (तकनीकी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरदर्शन कार्यक्रम (तकनीकी/समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना : ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 से स्तम्भ 5 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 से स्तम्भ 15 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. यदि इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले किसी पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति के संबंध में उच्च पद पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है तो उन सभी व्यक्तियों के संबंध में भी जो उसकी श्रेणी में उससे ज्येष्ठ हैं, इस बात के होते हुए भी विचार किया जाएगा कि उन्होंने सेवा में अपेक्षित वर्ष पूरे नहीं किए हैं। परन्तु यह तब जबकि ऐसे ज्येष्ठ व्यक्तियों ने जिनके संबंध में इस नियम के अधीन प्रोन्नति के लिए विचार किया गया है, परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो, पूरी कर ली है।

6. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	प्रयोगशाला सहायक (ज्येष्ठ श्रेणी)	*2 (1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	1350-30-1440-40-1800-द.रो.-50-2200 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
9	10	11
लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
12	13
शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	ऐसे प्रयोगशाला सहायक (कनिष्ठ श्रेणी), जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
14	15
प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति 1. कार्यक्रम नियंत्रक—अध्यक्ष 2. उप निदेशक (प्रशा.)—सदस्य 3. कार्यक्रम उप नियंत्रक—सदस्य पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति 1. उप निदेशक, कार्यक्रम/सहायक केन्द्र निदेशक—अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी—सदस्य 3. कार्यक्रम कार्यपालक/प्रस्तुतकर्ता—सदस्य	लागू नहीं होता ।

1	2	3	4	5	6	7	8
2. मंच प्रबंधक		*76 (1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	1400-40-1600-50-2300-द. रो.-60-2600 रु.	चयन	नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच टिप्पण : 1. केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । टिप्पण : 2. आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अण्डमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गई भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

9	10	11
आवश्यक : (1) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य (2) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से रंगमंच शिल्प या डिप्लोमा या रंगमंच, फिल्म या दूरदर्शन में मंच प्रबंध का 3 वर्ष का अनुभव । टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की दशा में 2 वर्ष

12	13
(1) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (2) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	ऐसा मंच सहायक, जिन्हें नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है।

14	15
चयन समिति (1) निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र अध्यक्ष (2) दो बाहरी विशेषज्ञ सदस्य (3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से एक बाहरी विशेषज्ञ सदस्य प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति (1) कार्यक्रम नियंत्रक अध्यक्ष (2) उप निदेशक (प्रशा.) सदस्य (3) प्रस्तुतकर्ता श्रेणी-1 सदस्य, पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति : (1) उप निदेशक कार्यक्रम/सहायक केन्द्र निदेशक अध्यक्ष (2) ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी सदस्य (3) कार्यक्रम कार्यपालक, प्रस्तुतकर्ता सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	ज्येष्ठ फिल्म संपादक	*9 (1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	1400-40-1600-50-2300-द.रो.-60-2600 रु.	चयन	नहीं	लागू नहीं होता

9	10	11
लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता

12	13
शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	ऐसा फिल्म संपादक जिसने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है।

14	15
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति : (1) उप निदेशक कार्यक्रम/सहायक केन्द्र निदेशक अध्यक्ष (2) ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी सदस्य (3) कार्यक्रम कार्यपालक/प्रस्तुतकर्ता सदस्य प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति : (1) कार्यक्रम नियंत्रक अध्यक्ष (2) उप निदेशक (प्रशासन) सदस्य (3) उप कार्यक्रम नियंत्रक सदस्य	लागू नहीं होता

[संख्या 501/2/83-टी.वी. (भाग-2)]

पी. एम. राजू, अवर सचिव

परिशिष्ट

(नियम 1 और अनुसूची का स्तम्भ 13)

... अयोग्य को अस्वीकार करने के अधीन रहते हुए 100 प्रतिशत कोटा में से ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।

(1) प्रयोगशाला सहायक (ज्येष्ठ श्रेणी) के पद पर प्रोन्नति अनुसूची के स्तम्भ 14 में यथा उपबंधित प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर की जाएगी। फीडर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए पात्रता के प्रयोजनार्थ विचार किए जाने के परिक्षेत्र में प्रयोगशाला सहायक (कनिष्ठ श्रेणी) के ग्रेड में प्रयोगशाला सहायक शामिल होगा और प्रोन्नति, अयोग्य को अस्वीकार करने के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाएगी।

(2) प्रोन्नति के लिए पात्रता का अवधारण उस वर्ष की 1 जनवरी को किया जाएगा, जिस वर्ष विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक होती है।

(3) प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची निम्न अनुसार तैयार की जाएगी:-

(क) इन नियमों के यथा प्रारम्भ होने की तारीख को विद्यमान अखिल भारतीय ज्येष्ठता सूची उसमें सम्मिलित अधिकारियों के संबंध में आधार होगी।

(ख) प्रयोगशाला सहायक (कनिष्ठ श्रेणी) के ग्रेड में तत्पश्चात नियुक्त किए गए व्यक्तियों की बाबत, अधिकारियों का नाम ग्रेड में उनकी नियमित नियुक्ति। स्टाफ कलाकार के रूप में दीर्घ कालिक संविदा की तारीख के आधार पर अपने-अपने दूरदर्शन केन्द्र में परस्पर ज्येष्ठता बनाए रखते हुए जोड़ा जाएगा।

(नियम 2 और अनुसूची का स्तम्भ 13)

50 प्रतिशत कोटा में से चयन द्वारा प्रोन्नति:

1. मंच प्रबंधक के पद पर प्रोन्नति अनुसूची के स्तम्भ 14 में यथा उपबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर की जाएगी। फीडर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए पात्रता के प्रयोजनार्थ विचार किए जाने के परिक्षेत्र में ऐसे मंच सहायक को सम्मिलित किया जाएगा जिसने उस श्रेणी में न्यूनतम पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

2. प्रोन्नति के लिए पात्रता का अवधारण उस वर्ष की 1 जनवरी को किया जाएगा जिस वर्ष विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक होती है।

3. प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची निम्न अनुसार तैयार की जाएगी :

(क) इन नियमों के यथा प्रारम्भ की तारीख को विद्यमान अखिल भारतीय ज्येष्ठता सूची उसमें सम्मिलित अधिकारियों के संबंध में आधार होगी।

(ख) मंच सहायक के ग्रेड में तत्पश्चात् नियुक्त किए गए व्यक्तियों की बाबत अधिकारियों का नाम ग्रेड में उनकी नियमित नियुक्ति स्टाफ कलाकार के रूप में दीर्घकालिक संविदा की तारीख के आधार पर अपने-अपने दूरदर्शन केन्द्र में परस्पर ज्येष्ठता बनाए रखते हुए जोड़ा जाएगा।

परिशिष्ट

(नियम 3 और अनुसूची का स्तम्भ 13)

अयोग्य को अस्वीकार करने के अधीन रहते हुए 100 प्रतिशत कोटे में से ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा से।

(1) ज्येष्ठ फिल्म संसाधक के पद पर प्रोन्नति अनुसूची के स्तम्भ 14 में यथा उपबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर की जाएगी। फीडर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए पात्रता के प्रयोजनार्थ विचार किए जाने के परिक्षेत्र में ऐसे फिल्म संसाधक को सम्मिलित किया जाएगा जिसने उस श्रेणी में न्यूनतम 5 वर्ष नियमित सेवा की है और प्रोन्नति अयोग्य को अस्वीकार किए जाने के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाएगी।

(2) प्रोन्नति के लिए पात्रता का अवधारण जिस वर्ष विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक होती है उस वर्ष की 1 जनवरी को किया जाएगा।

(3) प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची निम्न अनुसार तैयार की जाएगी।

(क) इन नियमों के यथा प्रारम्भ होने की तारीख को विद्यमान अखिल भारतीय ज्येष्ठता सूची उसमें सम्मिलित अधिकारियों के संबंध में आधार होगी।

(ख) फिल्म संसाधक के ग्रेड में तत्पश्चात् नियुक्त किए गए व्यक्तियों की बाबत, अधिकारियों का नाम ग्रेड में उनकी नियमित नियुक्ति। स्टाफ कलाकार के रूप में दीर्घकालिक संविदा, की तारीख के आधार पर अपने-अपने दूरदर्शन केन्द्र में परस्पर ज्येष्ठता बनाए रखते हुए जोड़ा जाएगा।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 22nd August, 1989

G.S.R. 657.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to Group 'C' Programme (Technical) posts in various units of Doordarshan under the Ministry of Information and Broadcasting, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Doordarshan Programme (Technical/Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application :—These rules shall apply to the posts specified in column 2 of the schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, their Classification and Scale of Pay :—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 3 to 5 of the said schedule.

4. Method of Recruitment, age-limit, qualifications :—The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns 6 to 15 of the aforesaid schedule.

5. If a person appointed to any post covered in these rules is considered for promotion to higher post, all persons senior to him in his grade will also be considered notwithstanding that they may not have rendered the requisite number of years of service :

Provided that the seniors, who are considered for promotions under this rule should have completed the period of probations, if any.

6. Disqualifications :—No person,—

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(ii) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to Relax:—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruit
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Laboratory Assistant (Senior Grade)	*2 (1980) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-gazetted Non-Ministerial.	Rs. 1350-30-1440-40-1800-EB-50-2200.	Non-Selection.	No.	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
9	10	11	12
Not applicable	No	Not applicable	100% by promotion.

In case of recruitment by Promotion/deputation/transfer, grade from which/promotion/transfer/to be made deputation	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14	15
Laboratory Assistants (Junior Grade) with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Departmental Promotion Committee for Promotion 1. Controller of Programme—Chairman 2. Deputy Director (Ad.)—Member 3. Deputy Controller of Programmes—Member Departmental Promotion Committee for Confirmation 1. Deputy Director Programme/Assistant Station Director—Chairman. 2. Senior Administrative Officer/Administrative Officer—Member 3. Programme Executive Producer—Member.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Floor Manager	70* (1987) *Subject to variation dependent to workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600.	Selection	No	Between 18 and 25 years. Note 1:- Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: 1 The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications for candidates in India other than those in Andaman & Nicobar Island and Lakshadweep). In the case of recruitment made through the Employment exchange the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the employment exchange is asked to submit the names.

9	10	11	12
Essential (i) Matriculation or equivalent, (ii) Diploma from recognised institute in Stage Craft, OR Three year's experience in Floor Management in Stage, Film or TV. Note:- The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidate belonging to the Schedules Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	No	Two years	(i) 50% by direct recruitment (ii) 50% by promotion.

13	14	15
Floor assistant with 5 years' service in the grade rendred after appointment thereto on regular basis.	Selection Committee (i) Director, Doordarshan Kendra— Chairman (ii) Two outside experts—Member (iii) One outside expert from SC/ST—Member Departmental Promotion Committee for Promotion (i) Controller of Programmes—Chairman (ii) Deputy Director (Admn.)—Member (iii) Producer Grade I—Member Departmental Promotion Committee for Confirmation (i) Deputy Director Programme/Assistant Station Director—Chairman. (ii) Senior Administrative Officer/Administrative Officer—Member (iii) Programme Executive Producer—Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Senior Film Processor	*(9)(1987) *subject to variation dependent on work load.	General Central service Group 'C' Non-gazetted Non-Ministerial.	Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600	Non-Selection	No	Not applicable

9	10	11	12
Not applicable	Not applicable	Not applicable	100% by promotion

13	14	15
Film Processors with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.	Departmental Promotion Committee for confirmation (1) Deputy Director Programme/Assistant Station Director—Chairman (2) Senior Administrative Officer/Administrative Officer—Member (3) Programme Executive/Producer—Member Departmental Promotion Committee for Promotion (1) Controller of Programme—Chairman (2) Deputy Director (Administration)—Member (3) Deputy Controller of Programmes—Member	Not applicable

[No. 501/2/83-TV (Vol. II)]
P.M. RAJU, Under Secy.

APPENDIX

(Rule 1 and column 13 of the Schedule)

Promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit against 100% quota

(1) The promotion to the post of Senior Laboratory Assistant shall be made on the recommendations Departmental Promotion Committee as provided its column 14 of the Schedule. The zone of consideration for the purpose of eligibility for promotion in the feeder grade will include Laboratory Assistants with a minimum of five years of regular service in the grade and promotion shall be made on the basis of seniority-subject to rejection of the unfit.

(2) The eligibility for promotion shall be determined as on the 1st January of the years in which the Departmental Promotion Committee meets.

(3) The eligibility list for promotion shall be prepared as under:—

(a) As on the date of commencement of the rules, the existing All India Seniority list would form the basis in relation to officers included therein.

(b) In respect of those appointed to the grade of Laboratory Assistant thereafter, the names of officers will be added on the basis of the dates of their regular appointment/on long term contract staff Artist in the grade subject to the maintenance of their inter-se-seniority in the respective Doordarshan Kendras.

APPENDIX

(Rule 2 and column 13 of the Schedule)

Promotion by selection against 50% quota

(1) Promotion to the posts of Floor Manager shall be made on the recommendations of the Departmental Promotion Committee as provided in column 14 of the Schedule. The zone of consideration for the purpose of eligibility for promotion in the feeder grade will include Floor Assistants with minimum of five years of regular service in the grade.

(2) The eligibility for promotion shall be determined as on the 1st of January of the year in which the Departmental Promotion Committee meets.

(3) The eligibility list for promotion shall be prepared as under:

(a) As on the date of commencement of these rules, the existing All India Seniority list would form the basis in relation to officers included therein.

(b) In respect of those appointed to the grade of Floor Assistant thereafter, the names of officers will be added on the basis of the dated of their regular appointment/on long term contract as Staff Artist in the grade subject to the maintenance of their interse-seniority in the respective Doordarshan Kendras.

APPENDIX

(Rule 3 and column 13 of the Schedule)

Promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit against 100% quota

(1) The Promotion to the posts of Senior Film Processor shall be made on the recommendations the Departmental Promotion Committee as provided in column 14 of the Schedule. The zone of consideration for the purpose of eligibility for promotion in the feeder grade will include Film Processors a minimum of five years of regular service in the grade and promotion shall be made on the basis of seniority subject to rejection of the unfit.

(2) The eligibility for promotion shall be determined as on the 1st January of the year in which the Departmental Promotion Committee meets.

(3) The eligibility list for promotion shall be prepared as under:—

(a) As on the date of commencement of these rules, the existing All India Seniority list would form the basis in relation to officers included therein.

(b) In respect of these appointed to the grade of Film Processor thereafter, the names of officers will be added on the basis of the dates of their regular appointment/on long term contnact staff Artist in the grade subject to the maintenance of their inter-se, seniority in the respective Doordarshan Kendras.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Dehli-110054, 1989